



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19032022-234307
CG-DL-E-19032022-234307

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 209]
No. 209]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 17, 2022/फाल्गुन 26, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 17, 2022/PHALGUNA 26, 1943

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2022

सा.का.नि. 212(अ).—केन्द्रीय सरकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम 1949 (1949 का 38) की धारा 22क की उपधारा (1), लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 का 23) की धारा 22क और कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 22 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित भारत सरकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना, संख्यांक सा.का.नि. 835(अ), तारीख 3 नवंबर, 2015 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:—

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्यांक (2) और (3), और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखी जाएंगी, अर्थात:

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्यांक (2) और (3), और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखी जाएंगी, अर्थात:

- | | | |
|--|---|--------|
| “(2) श्री प्रवीण गर्ग, आई ए एस (सेवानिवृत्त)
सी -6, टावर -6, न्यू मोती बाग
नई दिल्ली -110023 | - | सदस्य |
| (3) श्री आनंद मोहन बजाज
अपर सचिव,
आर्थिक कार्य विभाग
वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली | - | सदस्य” |

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. 12/15/2007-पीआई खंड-III]

मनोज पाण्डेय, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उप-खंड (i) में, संख्यांक सा.का.नि. 835(अ), तारीख 3 नवंबर, 2015 में प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 1130(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2016, सा.का.नि. 171(अ) तारीख 1 मार्च, 2019, सा.का.नि. 413(अ), तारीख 10 जून, 2019, सा.का.नि. 408(अ), तारीख 15 जून, 2021 और सा.का.नि. 415(अ), तारीख 16 जून, 2021 में संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 2022

G.S.R. 212(E).—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 22A of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), section 22A of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959) and section 22A of the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Corporate Affairs, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-Section-(i) vide number G.S.R. 835(E), dated the 3rd November, 2015, namely:—

In the said notification, for serial numbers (2) and (3), and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

“(2) Shri Praveen Garg, IAS (Retd.) C-6, Tower 6, New Moti Bagh New Delhi – 110 023	-	Member
(3) Shri Anand Mohan Bajaj Additional Secretary, Department of Economic Affairs Ministry of Finance, New Delhi	-	Member”

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 12/15/2007-PI Vol III]

MANOJ PANDEY, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3 Sub-section (i) vide number G.S.R. 835(E), dated the 3rd November, 2015 and subsequently amended vide notification number G.S.R. 1130(E), dated the 13th December, 2016, G.S.R. 171(E), dated the 1st March, 2019, G.S.R. 413(E), dated the 10th June, 2019, G.S.R. 408(E), dated the 15th June, 2021 and G.S.R. 415(E), dated the 16th June, 2021.